जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक-16.04.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

ज्ञात हो कि दिनांक 14.04.2025 को वादी श्री रमेश पुत्र मंगली निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली ने अपने पुत्र के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद तहरीर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नसीम उर्फ वसीम पुत्र साद्दा निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।

2.समीम पुत्र साद्दा निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 पंकज थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 मयूर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

आज दिनांक 16.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.आजम पुत्र सलीम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

वर्ष 2002 में अभियुक्तगण 1.अमीर अब्बास पुत्र फैय्याज निवासी मौ0 इमामबाडा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर 2.शाहनवाज उर्फ डाक्टर पुत्र अब्बास निवासी बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 440/2002 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07-07 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI